प्रेस नोट-थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 25.11.2026

"थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के कुशल नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बडी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.02.2026 को वादी श्री वीरेन्द्र शुक्ला पुत्र श्री सतीश चन्द्र शुक्ला निवासी ग्राम नाहिल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 105/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/117(2)/109 बीएनएस बावत अभियुक्तगण 1 अवनीश पुत्र भगवानदास 2. राजेश पुत्र भगवानदास 3.ज्ञानेश शुक्ला पुत्र भगवानदास 4. शिवम शुक्ला पुत्र अवनीश 5. राहुल 6.अंकित 7. गोविन्द 8. गोपाल निवासीगण ग्राम नाहिल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डा व रायफल से सुसज्जित होकर वादी के भाई को घेरकर फायर करना तथा घर में घुसकर वादी के पिता सतीशचन्द्र को जान से मारने की नियत से प्रहार करना तथा हाथ पैर तोड़ देने के संबंध में पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 191(3)/109/333 बीएनएस का लोप करके धारा 193(3)/109(1)/126(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल शुक्ला उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र ज्ञानेश शुक्ला निवासी ग्राम नाहिल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर को थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.11.2026 को समय 17:40 बजे थाना बंडा के पीछे फ्लिप कार्ट के ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त शिवम शुक्ला व ज्ञानेश शुक्ला, राहुल शुक्ला की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

- राहुल शुक्ला उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र ज्ञानेश शुक्ला निवासी ग्राम नाहिल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

- मु0अ0सं0 105/2026 धारा 191(2)/193(3)/190/117(2)/109(1)/126(2)/3(5) बीएनएस थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान का विवरण-

- दिनांक 24.11.2026 को समय 17.40 बजे, बंडा के पीछे फ्लिप कार्ट के ऑफिस

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल शुक्ला -

1.मु0अ0सं0 678/2018 धारा 147,149,323,325,504,506 भा दं सं 1860 थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 0369/2019 धारा 323,452,504,506 भा दं सं 1860 थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3.मु0अ0सं0 206/2021 धारा 336,427,504 भा दं सं 1860 थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. मु0अ0सं0 890/2025 धारा 115(2), 351(2) , 352 बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

5.मु0अ0सं0 105/2026 धारा 191(2)/193(3)/190/117(2)/109(1)/126(2)/3(5) बीएनएस थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. वउ0नि0 श्री रामकिशोर थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री रामू आर्या थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 726 राहुल सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर